कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल–462 003
दूरभाष क्रमांक (0755) 2779411–12

क्रमांक 327 / स्था. / प्र.अ. / लोस्वायॉवि / 2017 भोपाल, दिनांक **14.09.2017**

// परिपत्र //

तकनीकी समिति की सातवीं बैठक दिनांक 13.09.2017 में लिये गये निर्णयों के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. दिनांक ~~01.06.2017~~ 01.06.2016 से लागू विभागीय **यू.एस.ओ.आर. के निम्न तालिका में सम्मिलित चेप्टरों / आयटमों को छोड़कर शेष समस्त चेप्टरों / आयटमों की दरें 10 प्रतिशत कम की जाती है :–**

चेप्टर का क्रमांक	आयटम क्रमांक
XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII	समस्त आयटम
XXIV	24.1 से 24.3 तथा 24.7 से 24.14

उपरोक्तनुसार निर्धारित दरों के अनुसार कार्यों की निविदा हेतु Bill of Quantity तैयार की जावे।

2. कार्यो के तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन कंडिका–1 अनुसार 10 प्रतिशत की कमी करते हुये तैयार किया जावे तथा प्राक्कलन के अंत में प्रचलित जी. एस.टी. की दर को जोड़कर कार्य की लागत आंकलित की जावे।

3. विभाग द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं की Bill of Quantity में विभागीय एस.ओ.आर. के साथ–साथ अन्य विभागों के एस.ओ.आर. के आयटम भी लिये जाते हैं। चूंकि विभाग में जी.एस. टी. की राशि के पृथक से भुगतान के निर्देश हैं अतः 30 जून 2017 को प्रभावशील समस्त विभागों के एस.ओ.आर. के प्रत्येक आयटम की दरों में 10 प्रतिशत की कमी कर निविदा हेतु Bill of Quantity तैयार की जाये।

4. विभागीय खनन कार्यो हेतु उपरोक्तानुसार संशोधित (10 प्रतिशत की कमी) यू.एस.ओ.आर. के चेप्टर-B के बिन्दु क्रमांक 28 को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

   28. The rates for various items of works given in this unified schedule of rates includes for 1% overhead and 10% contractor's profit. If the work is carried out departmentally then the rates applicable for department works shall be at-least 9.90% [(100x11)/111] less than the rates of various items given in this unified schedule of rates. But for preparation of estimates/assessing the value of work done, 10% value shall be added over the total amount arrived on the basis of revised rates for accommodating the impact of GST on departmental works.

5. ऐसी निविदायें जो कि आमंत्रित है अथवा आमंत्रित की जानी है उनमें निम्नानुसार प्रावधान निविदा की विशेष शर्तो (Special Conditions of Contract) में जोड़ा जाये :–

   "यदि कार्य के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी नवीन आयटम जो कि किसी भी विभाग के एस.ओ.आर. (दिनांक 30 जून 2017 की स्थिति में प्रभावी) से लिया जाये तो उसमें भी 10 प्रतिशत की कटौत्री करते हुये उस आयटम का भुगतान किया जावेगा। कार्य को पूर्ण करने हेतु यदि ऐसे किसी नॉन एस.ओ.आर. आयटम का क्रियान्वयन आवश्यक हो (जो किसी भी एस.ओ.आर. में सम्मिलित न हो) तथा उसकी दरों का आंकलन बाजार दर से करना पड़े तो ऐसे आयटम के दरों की गणना हेतु बाजार दरों में करों का समावेश नहीं किया जावेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि ठेकेदार द्वारा किसी भी निविदा में दी गई प्रतिशत दरें उपरोक्त अनुसार कम की गई 10 प्रतिशत दरों पर ही देय होगी।

14/9/17

2/–

निविदाकार द्वारा अपनी दरों का आंकलन उक्तानुसार ही किया जावे, इस हेतु संबंधित विभागों द्वारा उनके एस.ओ.आर. में जी.एस.टी. के परिपेक्ष्य में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो ऐसे संशोधन को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मान्य किये जाने संबंधी आदेश जारी होने पर ही लागू माना जावेगा।"

6. ऐसी निविदायें जो कि आमंत्रित हैं उनकी अनुमानित निविदा लागत (पी.ए.सी) की राशि में 10 प्रतिशत कमी करते हुये पुनरीक्षित निविदा लागत को पोर्टल पर अंकित करते हुये धरोहर राशि ई. एम.डी. तथा निविदा प्रपत्र के मूल्य को तदानुसार पुनरीक्षित किया जावे। इस हेतु संशोधन पत्र (Corrigendum/ Addendum) निम्नानुसार उल्लेख करते हुये जारी किया जावे :–

   "Consequent upon the decision of the department the rates of all items of all the USORs included in the BOQ of the NIT to reduce by 10%; in lieu of the impact of GST, the value of PAC, Amount of EMD and cost of tender document are hereby amended and the bidders are supposed to consider the corresponding revised rates (10% less) of items of all USORs used in the BOQ or mentioned elsewhere in the NIT while quoting their rates."

7. ऐसी निविदायें जो प्राप्त हो चुकी हैं किन्तु उनका निराकरण किया जाना है तो इन निविदाओं की दरों के औचित्य का निर्धारण बिन्दु क्रमांक–1 अनुसार यू.एस.ओ.आर. की दर में की गई 10 प्रतिशत की कमी को संज्ञान मे लेते हुए किया जाये।
8. ऐसी निविदायें जिनमें जी.एस.टी. के पृथक से भुगतान का प्रावधान नहीं है और इन निविदाओं के एल.ओ.ए. जारी हो चुके हैं परंतु अनुबंध संपादित नहीं हुये हैं, उन्हें तत्काल निरस्त कर उपरोक्त प्रावधानों को सम्मिलित करते हुये नवीन निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
9. यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि बिन्दु क्रमांक 01 अनुसार 10 प्रतिशत की कमी उन्हीं एस.ओ. आर. पर लागू होगी जो दिनांक 30 जून 2017 की स्थिति में प्रभावशील थे तथा उनका उपयोग विभागीय निविदा में किया गया हो अथवा किया जाता हो।
10. इस परिपत्र की कंडिका 1 अनुसार रजिस्टीविटी सर्वे (चेप्टर–XVIII), नलकूप खनन (चेप्टर–XIX, XX, XXIII), यील्ड टेस्ट (चेप्टर–XXII) तथा हाइड्रोफैक्चरिंग/नलकूप सफाई आदि कार्यो (चेप्टर–XXIV) के आयटमों की दरों में 10 प्रतिशत की कमी नहीं की गई है, अतः इन कार्यो से संबंधित निविदाओं में इस परिपत्र की कंडिका 05 से 09 लागू नहीं होगी।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

15/9/17

(के. के. सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. **7329** /मोनि./प्र.अ./लोस्वायॉवि/2017 भोपाल, दिनांक **14.09.2017**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/विद्युत यांत्रिकी विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समस्त मण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समस्त खण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुये लेख किया जाता है कि परिपत्र की प्रति समस्त सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें।

15/9/17
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल–462 003
दूरभाष क्रमांक (0755) 2779411–12

क्रमांक 331 / स्था. / प्र.अ. / लोस्वायॉवि / 2017 भोपाल, दिनांक 15/09/2017

// परिपत्र संशोधन //

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक **327**/स्था./प्र.अ./लोस्वायॉवि/2017 भोपाल, **दिनांक 14.09.2017** की कंडिका – 1 में त्रुटिवश दिनांक 01.06.2017 टंकित हो गया है, अतः इसे **दिनांक 01.06.2016 पढ़ा जावे**।

14/9/17
(के. के. सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 7403 / मोनि. / प्र.अ. / लोस्वायॉवि / 2017 भोपाल, दिनांक 15/9/17

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/विद्युत यांत्रिकी विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समस्त मण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समस्त खण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुये लेख किया जाता है कि परिपत्र की प्रति समस्त सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें।

15/9/17
प्रमुख अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल–462 003
दूरभाष क्रमांक (0755) 2779411–12

क्रमांक 337 /स्था./प्र.अ./लोस्वायाँवि/2017 भोपाल, दिनांक 22/09/17

// परिपत्र संशोधन //

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक **327** /स्था./ प्र.अ./ लोस्वायाँवि/ 2017 भोपाल, **दिनांक 14.09.2017** की कंडिका–10 की अंतिम पंक्ति में लिखित **"कंडिका 05 से 09"** के स्थान पर **"कंडिका 05 से 09 (कंडिका–08 को छोड़कर)"** पढ़ा जावे।

22/9/17

(के. के. सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 7540 /मोनि./प्र.अ./लोस्वायाँवि/2017 भोपाल, दिनांक 22/9/17

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/ जबलपुर/विद्युत यांत्रिकी विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समस्त मण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समस्त खण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुये लेख किया जाता है कि परिपत्र की प्रति समस्त सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें।

22/9/17

प्रमुख अभियंता